झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 1437/2016

1. याकूब हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय माका हस्सा पूर्ति
2. मतियस हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय शिरिल हस्सा पूर्ति
3. जोटो हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय एंथोनी हस्सा पूर्ति
4. प्रेमचंद हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय दुंदिया हस्सा पूर्ति
5. फ्रांसिस हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय बागा हस्सा पूर्ति
6. निरास्टार हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय अभिराम हस्सा पूर्ति
7. हिन्दू हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय बिसराम हस्सा पूर्ति
8. बिरसा हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय दश हस्सा पूर्ति
9. रेला हस्सा पूर्ति, पिता स्वर्गीय एतवा हस्सा पूर्ति
10. पोलुश हस पूर्ती, पिता तबा हस्सा पूर्ति गांव के सभी निवासी- रुबुआ, डाकघर - बिंदा, थाना- मुरहू, जिला- खूंटी ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अंचल अधिकारी, मुरहू, डाकघर + थाना - मुरहू, जिला- खूंटी
3. खण्ड विकास अधिकारी, मुरहू, डाकघर + थाना- मुरहू, जिला- खूंटी

..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री राहुल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री प्रवीण अखौरी, एससी माइन्स 1

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका अनुबंध 2 में निहित दस्तावेजों को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त आदेश/निर्देश के लिए प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो वर्ष 1930 में निपटान संचालन में तैयार किए गए खेवट के रिकॉर्ड हैं। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसमें याचिकाकर्ता के पूर्वज की जाति का गलत उल्लेख किया गया है। यह याचिकाकर्ताओं का विशिष्ट मामला है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उनके पूर्वजों की जाति अर्थात् माका लोहार, जो कोलाय मुंडा का पिता है, मुंडा है, लेकिन इसे गलती से माका मुंडा के रूप में उल्लेख करने के बजाय अनुलग्नक 2 में माका लोहार के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि खेवत है, वर्ष 1930 के बंदोबस्त संचालन में तैयार किए गए उक्त खेवट में है।

3. इस पर, विद्वान एस. सी. खान 1 निवेदन करते हैं कि जाति संवीक्षा समिति का गठन झारखंड राज्य द्वारा किया गया है और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के अधीन कार्य कर रही है और उक्त विभाग के सचिव जाति जांच समिति के अध्यक्ष हैं और उक्त विभाग के सचिव का कार्यालय परियोजना भवन की दूसरी मंजिल में स्थित है, धुर्वा, रांची और प्रस्तुत करता है कि यदि याचिकाकर्ताओं को उनकी जाति के बारे में कोई शिकायत है, तो वे उक्त समिति के समक्ष शिकायत उठा सकते हैं।

4. इस पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील उक्त जाति जांच समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका को वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति मांगते हैं।

5. बार में किए गए पूर्वोक्त तथ्यों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका को वापस लेने का निपटारा किया जाता है, याचिकाकर्ताओं को उक्त जाति

जांच समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ यह घोषित करने के लिए कि याचिकाकर्ताओं की जाति मुंडा है न कि लोहार।

6. इस रिट याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 2 अप्रैल, 2024
स्मिता / ए. एफ. आर

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।